मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

भोपाल, दिनांक 15 जून, 2009

क्रमांक सी–3–11/2002/1/3

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,म.प्र.ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय :– मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 में 2 से 5 पदों के लिए मॉडल रोस्टर।
संदर्भ :– इस विभाग का समसंख्यक ज्ञापन दिनांक 4 मार्च, 2003.

मध्यप्रदेश लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2002 के तहत 2 से 5 पदों के लिए मॉडल रोस्टर इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3–11/2002/1/3, दिनांक 4 मार्च, 2003 द्वारा जारी किया गया है।

2/ 02 से 05 पदों के लिये निर्धारित मॉडल रोस्टर उदाहरण सहित जारी किया गया है। ज्ञापन के संलग्न परिशिष्ट–एक में 03 पदों के लिये मॉडल रोस्टर में तृतीय प्रतिस्थापन "अनुसूचित जनजाति" अंकित है। परिशिष्ट–एक के सरल क्रमांक–3 में चक्रानुक्रम (by rotation) की प्रक्रिया में तृतीय प्रतिस्थापन में मुद्रण त्रुटि के कारण **"अनुसूचित जाति"** के स्थान पर **"अनुसूचित जनजाति"** अंकित हो गया है, अतः परिशिष्ट–एक के सरल क्रमांक–3 में चक्रानुक्रम (by rotation) की प्रक्रिया में तृतीय प्रतिस्थापन **"अनुसूचित जनजाति"** के स्थान पर **"अनुसूचित जाति"** पढ़ा जावे। संशोधित रोस्टर संलग्न है।

संलग्न : यथोपरि।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

15/6/09

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

..............2

भोपाल, दिनांक 15 जून, 2009

पृष्ठांकन क्रमांक सी–3–11/2002/1/3

प्रतिलिपि–

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, म.प्र. जबलपुर
2. सचिव, लोकायुक्त संगठन, मध्यप्रदेश, भोपाल
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी मध्यप्रदेश, भोपाल
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, म.प्र. भोपाल
8. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र., भोपाल
9. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल
10. सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल
11. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, म.प्र., भोपाल
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर/जबलपुर
13. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
14. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/सा.प्र.वि.मंत्रालय, भोपाल
15. उप सचिव/अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी, म.प्र. मंत्रालय, भोपाल.
16. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल
17. अध्यक्ष, म.प्र.राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल
18. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, मध्यप्रदेश

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15/6/09

(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पदोन्नति के मामलों में ऐसे संवर्गों, जिनमें कुल पदों की संख्या 2 से 5 तक है, के लिये मॉडल रोस्टर

संवर्गों में पदों की संख्या (Cadre strength)	पदोन्नति द्वारा प्रारंभिक पूर्ति (Initial recruitment by promotion)	प्रतिस्थापन क्रमांक (Replacement Number)				
		पहला 1st	दूसरा 2nd	तीसरा 3rd	चौथा 4th	पांचवा 5th
1.	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जाति
2.	अनारक्षित	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जाति	
3.	अनुसूचित जनजाति	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जाति		
4.	अनारक्षित	अनारक्षित	अनुसूचित जाति			
5.	अनारक्षित	अनुसूचित जाति				

टीप :– 1. ऐसे संवर्गों, जिनमें पदों की संख्या 2 से 5 है, उक्त मॉडल रोस्टर की, संवर्ग में पदों की संख्या के कॉलम के नीचे दर्शाई प्रविष्टि क्रमांक 1 से पढ़कर अंतिम पद तक और इसके पश्चात् क्षैतिज स्थिति में (Horizontally) क्षैतिज पंक्ति (Horizontally row) की अंतिम प्रविष्टि तक "L" के समान पढ़ा जायेगा.

2. संवर्ग के सभी पदो को, पदोन्नति द्वारा प्रारंभिक पूर्ति (Initial promotion) के कॉलम में दर्शाये गये प्रवर्गों (Categories) के लिये चिन्हित किया जाना है, ऐसे चिन्हित (earmarked) पदों की प्रारंभिक पूर्ति, होने के बाद, रिक्त होने पर उसका प्रतिस्थापन (replacement) चिन्हित पद के समक्ष चक्रानुक्रम (rotation) से क्षैतिज स्थिति में (Horizontal) संवर्ग के अंतिम पद के विरूद्ध किया जायेगा.

3. **यदि संवर्ग में, आरक्षित प्रवर्ग का प्रतिनिधित्व, 50 प्रतिशत से अधिक हो जाता है, निर्दिष्ट आरक्षित प्रवर्ग का संगत चक्रानुक्रम (relevant rotation) छोड़ा (skipped over) जा सकेगा.**